राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ ( )/चि. व स्वा./आरोग्य राजस्थान/2015/49 दिनांक : 08.12.2015

समस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान

विषय : आरोग्य राजस्थान के अन्तर्गत दिनांक 15.12.2015 से 31.03.2016 तक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सर्वे कैम्प लगवाने के संबंध में।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा 2015–16 आरोग्य राजस्थान के अन्तर्गत प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्वास्थ्य कैम्प दिनांक 15.12.2015 से 31.03.2016 तक लगायें जाने है । आपके जिले में लगाये जाने वाले स्वास्थ्य कैम्पों के तैयार किये गये प्लान व कैम्पों में नियुक्त चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ की व्यक्तिगत रूप से पूर्ण जाँच करने का श्रम करें तथा स्वास्थ्य कैम्पों में काम आने वाली आवश्यक दवाइयों एवं जाँच सामग्री की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जावें। स्वास्थ्य कैम्पों में कानून एवं व्यवस्था की पूर्ण व्यवस्था किया जाना भी सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायतवार लगाये जाने वाले स्वास्थ्य कैम्पों के संबंध में दिशा निर्देश संलग्न है । आपके जिलें में आयोजित किये जाने वाले स्वास्थ्य कैम्पों के सफल क्रियान्वयन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी है। अतः संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वास्थ्य कैम्प लगवाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जावें । जिससे आरोग्य राजस्थान के अन्तर्गत अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके।

आरोग्य राजस्थान ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विभाग द्वारा तैयार करवा लिया गया है तथा आपके जिले के दो प्रतिनिधियों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिला, ब्लाक व सैक्टर स्तर पर उक्त सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण क्रमशः दिनांक 06, 07 व 08 दिसम्बर 2015 को दिया जाकर दिनांक 09.12.15 से प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उक्त सॉफ्टवेयर में जिला स्तर पर टेंडर द्वारा सर्वे प्रपत्र एण्ट्री हेतु चुनी गई फर्म द्वारा एण्ट्री प्रारम्भ की जानी हेतु इस विभाग के पूर्व पत्र क्रमांक 47 दिनांक 04.12.15 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। अतः आरोग्य राजस्थान ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में निर्धारित दिनांक से डाटा एण्ट्री केन्द्र पर प्रपत्रों की एण्ट्री किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. नीरज के.पवन)
अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम)
निदेशक (आई. ई. सी.) एवं
संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं : –

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. ।
4. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, चि., स्वा. एवं प. क. एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)।
5. निदेशक (जन स्वा.) ।
6. निदेशक आरसीएच, ।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. स्टेट नोडल अधिकारी, आरोग्य राजस्थान, मुख्यालय जयपुर।
9. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला आशा कोर्डिनेटर
10. सर्वर रूम।

अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम)
निदेशक (आई. ई. सी.) एवं
संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

Email:- arogya.rajasthan@gmail.com

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

आरोग्य राजस्थान

स्वास्थ्य कैम्प दिशा निर्देश

प्रदेश में ग्राम पंचायतवार स्वास्थ्य कैम्प :15.12.2015 से 31.03.2016

- माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015–16 के अनुसार राज्य में आरोग्य राजस्थान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार 15.12.2015 से 31.03.2016 तक स्वास्थ्य कैम्प लगाये जायेगें।
- स्वास्थ्य कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित पीएचसी/सीएचसी तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पीएचसी/सीएचसी स्थित नही होने पर अटल सेवा केन्द्र/ उप स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।
- नई ग्राम पंचायतों जहाँ पर अटल सेवा केन्द्र नहीं है ऐसे स्थानों पर यदि उप स्वास्थ्य केन्द्र पर आवश्यकतानुसार स्थान उपलब्ध होने की स्थिती में स्वास्थ्य कैम्प उप स्वास्थ्य केन्द्र पर लगाया जा सकता है। उपस्वास्थ्य केन्द्र पर आवश्यकतानुसार स्थान नही होने की स्थिति में कैम्प केवल रविवार को विशेष सक्षम अनुमती से स्कूल भवन में लगाया जा सकता है। अथवा अन्य उपयुक्त स्थान पर कैम्प लगाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येंक उप स्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम, आशा द्वारा भरे गये प्रपत्रों के अनुसार गम्भीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का संलग्न प्रपत्र के अनुसार सूची तैयार करेगी तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत सम्पर्क कर स्वास्थ्य कैम्प अथवा नजदीकी पीएचसी/सीएचसी पर उपस्थित होकर स्वास्थ्य की जाँच करवाने के लिए सूचित करे तथा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सम्भव ईलाज की पूर्ण जानकारी दी जाये। एएनएम द्वारा तैयार की गई उक्त सूची अपने संबंधित क्षेत्र की पीएचसी/सीएचसी को प्रेषित करेगी तथा संबंधित सीएचसी/पीएचसी पर उक्त सूचना ग्राम पंचायतवार इकजाई कर स्वास्थ्य कैम्प में प्रेषित की जावें।इससे बीमार व्यक्तियों की ग्राम पंचायतवार सम्भावित सूची तैयार हो जायेगी।
- एएनएम अपने क्षेत्र की आम जनता को यह सूचित करेगी की गम्भीर बीमारियों से पीडित व्यक्ति ग्राम पंचायत स्तर पर लगने वाले कैम्प से पूर्व भी अपने नजदीकी पीएचसी/सीएचसी पर आउटडोर में अपने स्वास्थ्य की जांच करवा लेवे। इससे स्वास्थ्य कैम्पों में आमजनता की भीड़ कम होगी तथा अधिकाधिक लोगों के स्वास्थ्य की जाँच संभव हो सकेगी।
- प्रत्येंक उप स्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम अपने क्षेत्र के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों की जांच कर सूचना स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्रों में आवश्यक रूप से भरवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि लाभार्थियों की सही सूचना प्राप्त हो सके तथा अधिकतम लोग योजना का लाभ ले सकें।
- सीएचसी/पीएचसी पर पदस्थापित चिकित्सकों/पैरा मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी अधिनस्थ ग्राम पंचायतों में लगने वाले स्वास्थ्य कैम्पों में इस प्रकार लगाई जावे कि चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र पर दी जाने वाली सेवाओं में कोई व्यवधान नहीं हो।
- स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन जिला/ब्लाक स्तर से नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों तथा पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा किया जायेगा तथा कैम्प में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य कैम्प का प्रभारी अधिकारी होगा।
- ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित पीएचसी/सीएचसी पर पद स्थापित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सकों की ड्यूटी स्वास्थ्य कैम्पों में लगाई जायेगी।
- स्वास्थ्य कैम्पों में पीएचसी/सीएचसी पर पद स्थापित चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी पास की ग्राम पंचायत में लगाई जायेगी।
- उपलब्धता के अनुसार आयुष चिकित्सक की ड्यूटी भी स्वास्थ्य कैम्पों में लगाई जायेगी।
- स्वास्थ्य कैम्पों में अथवा पीएचसी/सीएचसी पर ओपीडी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों का डॉक्टर की सलाह के अनुसार हिमोग्लोबिन, आँखों की जाँच (दृष्टि दोष), ब्लड प्रेशर, हाईट, वजन की जाँच की जायेगी तथा चिकित्सक द्वारा क्लिनिक सिम्टम के आधार पर ब्लड शुगर, ब्लड

प्रेशर व अन्य बीमारियों की पहचान की जायेगी एवं उक्त बीमारी का यदि सम्भव हुआ तो चिकित्सा अधिकारी द्वारा ओपीडी के अनुसार ईलाज किया जायेगा ।

- स्वास्थ्य कैम्पों में अथवा पीएचसी/सीएचसी पर ओपीडी के अन्तर्गत डॉक्टर द्वारा पहचान की गई बीमारी के इलाज के लिए आवश्यकता अनुसार उच्च राजकीय चिकित्सा संस्थानो/मेडिकल कॉलेज अस्पतालों अथवा चिन्हित निजी चिकित्सा संस्थानों के लिए चिकित्सक द्वारा हैल्थ कैम्प के दौरान रोगी हैल्थ जाँच कार्ड (Patient Health Examination Card) भरकर रेफर किया जायेगा। जिसका सैम्पल संलग्न है। स्वास्थ्य कैम्पों में रैफर किए जाने वाले बीमार व्यक्तियों के लिए रोगी हैल्थ जाँच कार्ड (Patient Health Examination Card) आवश्यकतानुसार जिला स्तर से प्रिन्ट करवाया जाना है।
- स्वास्थ्य कैम्पों में जाँच निम्न प्रकार से की जानी है :-

क्र.स.	जाँच का नाम	टिप्पणी
1	हिमोग्लोबिन	स्वास्थ्य कैम्पों आने वाली समस्त 15 से 50 वर्ष तक की महिलाओं एवं चिकित्सक की सलाह अनुसार अन्य व्यक्तियों।
2	आँखों की जाँच	कैम्प में आने वाले समस्त व्यक्तियों के दृष्टि दोष की जाँच (नजदीक एवं दूर दृष्टि दोष की पहचान)
3	ब्लड प्रेशर	कैम्प में आने वाले समस्त व्यक्तियों की जाँच।
4	वजन	कैम्प में आने वाले समस्त व्यक्तियों की जाँच।
5	हाईट	कैम्प में आने वाले समस्त व्यक्तियों की जाँच।

- स्वास्थ्य कैम्प में यदि क्लीनिकल सिम्टम के आधार पर बीमारी का पता नहीं चलने पर चिकित्सक द्वारा उस व्यक्ति को बीमारी की जाँच एवं ईलाज हेतु उच्च राजकीय चिकित्सालयों में रैफर किया जायेगा।
- स्वास्थ्य कैम्पों में रोगों से बचाव,उचित खान पान व रहन सहन के बारे में जागृति पैदा करने की आई0 ई0 सी0 प्रदर्शित की जावेगी।
- पीएचसी/सीएचसी प्रभारी अधिकारी अपने क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों पर लगने वाले स्वास्थ्य कैम्पों का प्रभारी अधिकारी होगा तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर लगने वाले स्वास्थ्य कैम्प की जगह का निरीक्षण व्यक्तिशः किया जाकर यह सुनिश्चित करे कि लगने वाले कैम्प में आवश्यकतानुसार स्थान उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि स्थान कम है तो स्वास्थ्य कैम्प अन्यत्र ऐसे स्थान पर लगावे जहाँ आवश्यकतानुसार स्थान उपलब्ध हो तथा आम जनता को आने-जाने में सुविधा हो। उक्त सूचना से खण्ड कार्यालय को आवश्यक रूप से सूचित करें।
- स्वास्थ्य कैम्प में काम आने वाली आवश्यक दवाईयों तथा जाँच सामग्री की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। प्रारम्भ में उन स्थानों पर कैम्प लगाया जाना सुनिश्चित करे जिस ग्राम पंचायत पर पीएचसी/सीएचसी स्थित है।
- जिला अस्पताल व उप जिला अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों की ड्यूटी भी उपलब्धता के अनुसार स्वास्थ्य कैम्पों में लगाई जायेगी। चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ लीव रिजर्व हेतु जिला व ब्लाक स्तर पर आवश्यक संख्या में स्टाफ पाबंद किया जायें ताकि आवश्यकतानुसार चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी स्वास्थ्य कैम्पों में लगाई जा सके।
- पीएचसी/सीएचसी पर चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों की सेवाऐं स्वास्थ्य कैम्पों में लिया जाना सुनिश्चित करें।

प्रत्येक स्वास्थ्य कैम्प में निम्न प्रकार चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जायेगी :-

क्र. स.	पद	स्टाफ संख्या	टिप्पणी
1	चिकित्सा अधिकारी	2	जिला स्तर से चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी स्वास्थ्य कैम्प में लगाई जायेगी।
2	पैरामेडिकल स्टाफ- जीएनएम	4	कम से कम एक महिला नर्स अवश्य हो
3	पैरामेडिकल स्टाफ- एलएचवी	1	स्वास्थ्य कैम्पों की व्यवस्था में सहायता तथा फेसिलिटेटर
4	पैरामेडिकल स्टाफ- लेब टेक्नीशियन	1	जाँच हेतु
5	पैरामेडिकल स्टाफ-एएनएम	4-5	ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों/पीएचसी/सीएचसी पर पद स्थापित एएनएम

- विभाग द्वारा तैयार करवाये गये ऑनलाईन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में भर्ती मरीजों की बीमारी व जांच की ऑनलाईन एन्ट्री की जायेगी। यह ऑनलाईन एन्ट्री सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान, जहाँ बीमार व्यक्ति भर्ती है, के द्वारा की जायेगी इससे उस व्यक्ति का ऑनलाइन **ई–हैल्थ कार्ड** जेनेरेट होगा। **ई–हैल्थ कार्ड के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का हैल्थ इन्फोरमेसन नेटवर्क तैयार होगा।**
- इसी समयावधि के दौरान, जो व्यक्ति स्वास्थ्य कैम्पों से रेफर हुए बिना सीधे ही अस्पताल में चिकित्सा परामर्श हेतु जाता है तथा उसका अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों की स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में एण्ट्री अस्पताल द्वारा करवाई जायेगी इससे उस व्यक्ति का ऑनलाइन **ई–हैल्थ कार्ड जेनेरेट होगा। ई–हैल्थ कार्ड के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का हैल्थ इन्फोरमेशन नेटवर्क तैयार होगा।**
- इस प्रक्रिया से अगले पॉच वर्षों में प्रदेश के अधिकतर नागरिकों का इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रिकोर्ड (Electronic Medical Record – EMR) तैयार किया जा सकेगा। यह डेटा बेस भामाशाह योजना से जोडा जायेगा। यदि वह व्यक्ति पुनः उसी बीमारी अथवा अन्य बीमारी के ईलाज हेतु किसी भी चिन्हित अस्पताल में उपचार के लिए जाता है तो ई–हैल्थ कार्ड के आधार पर उसका पूर्व का ऑनलाईन रिकोर्ड_देखकर चिकित्सक को इलाज प्रारम्भ करने में सुविधा होगी।

प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्वास्थ्य कैम्प आयोजन हेतु विभाग द्वारा राशि रूपये 5000/– बजट प्रावधान किया गया है।बजट व्यय केवल स्वास्थ्य कैम्प के आयोजन पर ही नियमानुसार किया जाना है। जिसमें टेन्ट,दरी,टेबल मय कवर,कुर्सी,पानी की टंकी,जग,पानी का टेंकर,स्वास्थ्य कैम्प बैनर आदि सम्मलित हैं। वित्त विभाग के निर्देशानुसार स्वास्थ्य कैम्पों की कियान्विति एवं इस बाबत् किया जाने वाला व्यय आरटीपीपी एक्ट 2012 के प्रावधानो एवं नियत प्रकिया की पूर्ण पालना करते हुये वास्तविक आवश्यकतानुसार ही न्यूनतम व्यय निर्धारित प्रयोजनार्थ किया जाना सुनिश्चित करे।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी होगें।
- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभर्थियो को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत ईलाज प्रदान किया जायेगा।
- प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों हेतु रू 30 हजार तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों हेतु रू 3.00 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा।
- योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को स्वास्थ्य सुविधाऐं राज्य में चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समस्त उच्च राजकीय चिकित्सा संस्थानों, समस्त मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पताल तथा चिन्हित निजी चिकित्सालयों के माध्यम से कैशलेस निःशुल्क चिकित्सा सेवायें प्रदान की जायेगी।

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान

उपकेन्द्रवार बीमार व्यक्तियों की सूची

(हेल्थ कैम्पो के लिए सूची)

(आशा सहयोगिनियों द्वारा भरे गये प्रपत्रों में से क्षेत्र के परिवारों में बीमार व्यक्तियों की इकजाई सूची)

जिला: .... ब्लॉक: .... पीएचसी/सीएचसी का नाम: .... उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम: ....

क्र. सं.	गॉव/ढाणी का नाम	बीमार व्यक्ति की जानकारी								
		बीमार व्यक्ति का नाम	लिंग	उम्र	आधार कार्ड नम्बर/EID No.	बीमारी का नाम (कोड भरें)	बीमारी के लक्षण (कोड भरें)	प्रपत्र संख्या	लाभार्थी एनएफएसए/आरएसबीवाई (NFSA/RSBY)	भामाशाह कार्ड/राशन कार्ड नम्बर
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

दिनांक

एएनएम नाम व हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान

ग्राम पंचायतवार बीमार व्यक्तियों की सूची

(हेल्थ कैम्प के लिए सूची)

(संबंधित पीएचसी / सीएचसी द्वारा उपस्वास्थ्य केन्द्रवार परिवारों में बीमार व्यक्तियों की इकजाई सूची)

जिला: .... ब्लॉक: .... पीएचसी / सीएचसी का नाम: .... ग्राम पंचायत का नाम: ....

क्रं. सं.	गाँव / ढाणी का नाम	बीमार व्यक्ति की जानकारी								
		बीमार व्यक्ति का नाम	लिंग	उम्र	आधार कार्ड नम्बर / EID No.	बीमारी का नाम (कोड भरें)	बीमारी के लक्षण (कोड भरें)	प्रपत्र संख्या	लाभार्थी एनएफएसए / आरएसबीवाई (NFSA/RSBY)	भामाशाह कार्ड / राशन कार्ड नम्बर
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

दिनांक

चिकित्सा प्रभारी अधिकारी नाम व हस्ताक्षर

Government of Rajasthan
Directorate of Medical and Health Services
Patient Health Examination Card
(For use by Doctor in Health Camp for Aarogya Campaign)

District ______________ Health Camp Venue ______________ Date __________

Name of patient __________________ Age (yrs) ______ Gender Male / Female / Other

Bhamashah Card ID
RSBY Card No. __________ Aadhaar No. ____________ Insurance Status Insured / Not Insured

Diagnosis in Health Camp: ________________________________

Present History:

Past History:

Personal History:

Family History:

Immunization History:

Common Allergy History:

Common Drug Allergy

In case of women:
Menstrual History:

Obstetric History

Clinical Examination:
Pulse Rate
Resp. Rate
Temp (°C)
Height (cm)
Weight (kg)
BP
Observations on clinical examination

℞

Treatment advised:

Investigations
Hb
Blood Sugar
Blood Group
others

Further investigations required at higher Health Institute? Yes / No
Hospitalized treatment required? Yes / No
If yes, Disease / Health condition covered under State Health Insurance Scheme? Yes / No
Referred to hospital for hospitalized treatment/intervention for rehabilitation (Caliper, Tricycle, hearing aids, spactacles) Yes / No
If yes, name of Referral Hospital ________________________________

Place: ____________

Date: ____________

Signature: ______________

Name & designation of Doctor:
____
____